न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्याः– 41/2017 प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

1. देबी पिता श्रीकिशन भील जाति भील जाति भील उम्र वयस्क निवासी गेंता पारोली तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा
2. पारी कुमारी पुत्री प्रेमनारायण परमार (भील) उम्र वयस्क निवासी पादरा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर

....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हरलाल पिता लखमा मीणा निवासी खड़ीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. श्री हरनाथसिंह पिता रूगनाथसिंह राजपूत निवासी हाथीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–::आदेश::– दिनांकः –11/02/2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 10.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम हाथीपुरा पटवार हल्का गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 45 की आराजी संख्या 1/1, 36/1 कुल किता 2 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा, खाता संख्या 44 की आराजी संख्या 203/36 रकबा 03 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थीगण अपने खातें/संयुक्त खातें की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करायें जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संम्बंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है । विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियें जाने के आदेश प्रदत्त कियें जातें हैं एवं संबधित भू अ. निरीक्षक आकोला को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें ।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके वाके ग्राम हाथीपुरा पटवार हल्का गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 45 की आराजी संख्या 1/1, 36/1 कुल किता 2 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा, खाता संख्या 44 की आराजी संख्या 203/36 रकबा 03 बिस्वा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्षों को सूचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें । प्रार्थीगण इस कार्य के लियें कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 700/–रूपयें वक्त पत्थरगढ़ी कमिश्नर भू.अ. निरिक्षक को जमा करायेगा । खर्चा राशि जमा होनें पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी की जाकर पालना करें ।

प्रतिलिपि :–तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।